

‘चुनाव पाठशाला’ व ‘निर्वाचन साक्षरता क्लब’ के गठन की तैयारी, इनके नोडल पदाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

चुनावी पाठशाला में चुनाव प्रक्रिया की मिलेगी जानकारी

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर भावी तथा युवा मतदाताओं के लिए चुनाव पाठशाला एवं निर्वाचन साक्षरता क्लब के गठन करने और युवाओं को चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देने की कार्यवाही शुरू की गयी है। सोमवार को निर्वाचन विभाग के मुख्यालय में इनके नोडल पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण सत्र में सभी जिलों से आये निर्वाचन साक्षरता क्लब एवं चुनाव पाठशाला के नोडल पदाधिकारी

शामिल हुए। अब ये नोडल पदाधिकारी अपने जिलों में निर्वाचन साक्षरता क्लब और चुनाव पाठशाला के समन्वयकों को प्रशिक्षण देंगे तथा सुव्यवस्थित निर्वाचन साक्षरता एवं निर्वाचक सहभागिता-स्वीप के तहत जिलास्तर पर मतदाता जागरूकता की गतिविधियों को संचालित करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देशभर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब विशेष रूप से बनाने का निर्णय लिया गया है। इनका लक्ष्य 14 से 17 वर्ष के भावी मतदाताओं को स्वच्छ,

युवाओं को

- माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बनेंगे क्लब
- मतदान केंद्र स्तर पर सामुदायिक आधार पर संचालित किया जाएगा

पारदर्शी और नैतिक निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी देना और उन्हें एक सजग और सशक्त मतदाता के रूप में विकसित करना है। महाविद्यालय स्तर पर भी 18 से 21 वर्ष के युवा मतदाताओं के लिए निर्वाचन साक्षरता क्लब स्थापित किये

मतदान प्रतिशत बढ़ाने में काफी सकारात्मक परिणाम रहा

बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास के अनुसार निर्वाचन साक्षरता क्लब एवं चुनाव पाठशाला भावी मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति सशक्त करने के लिए अत्यंत प्रभावी है। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 में विभिन्न जिलों में चुनाव पाठशाला एवं निर्वाचन साक्षरता क्लब के माध्यम से मतदाता जागरूकता की स्वीप गतिविधियों को संचालित किया गया। इन गतिविधियों का कई जिलों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने में काफी सकारात्मक परिणाम रहा है।

जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मतदान केंद्र स्तर पर औपचारिक शिक्षा के बाहर 14 से 17 वर्ष के भावी मतदाताओं के लिए भी चुनाव पाठशाला स्थापित किया जाना है। चुनाव पाठशाला को मतदान केंद्र स्तर पर सामुदायिक आधार पर

संचालित किया जाएगा। इसलिए चुनाव पाठशाला में संबंधित मतदान केंद्र के दिव्यांग मतदाता, वृद्ध मतदाता, महिला मतदाता, निरक्षर मतदाता भी शामिल हो सकते हैं और निर्वाचन प्रक्रिया की प्रणाली की जानकारी हासिल कर सकते हैं।